

चतुर्थ-अध्याय

प्रदत्तों का
विश्लेषण एवं
व्याख्या

अध्याय-4

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

4.1 प्रस्तावना -

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या शोध प्रक्रिया के आगमन तर्क प्रयोग को व्यक्त करता है। स्वनिर्मित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रदत्तों को समूह व उपसमूह में विभाजित कर विश्लेषण तथा अंतिम परिणाम ज्ञात किया जाता है जो नवीन सिद्धान्त की खोज अथवा सामान्यीकरण रूप से होता है।

“सांख्यिकी पूर्व निश्चित उद्देश्य से संबंधित बिष्पक्ष और विधिवत ढंग से जुटाये गये तथ्यों का एकीकरण, सांख्यिकीकरण प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण करना है।”

- डब्ल्यू जी. सलविलफ के अनुसार

प्रस्तुत लघुशोध प्रबंध के इस अध्याय में प्रदत्तों का विश्लेषण करके उनकी व्याख्या की गई है एवं मौलिक कर्तव्यों की जागरूकता उसके पालन में क्या-क्या समस्याएँ आ रही हैं विद्यार्थियों को मौलिक कर्तव्यों की कितनी जागरूकता है। आदि के बारे में ज्ञात किया गया।

4.2 प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या -

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या शासकीय विद्यालय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय, अशासकीय विद्यालय, बाल शिक्षा निकेतन विद्यालय, मोती चिल्ड्रन स्कूल गुना (म.प्र.) के कक्षा-11 वी के विद्यार्थियों में मौलिक कर्तव्यों की जागरूकता देखना है एवं कितने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं पता लगाना है मौलिक कर्तव्यों के प्रति छात्र/छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन करना।

अनुच्छेद 51 (क) में मौलिक कर्तव्य -

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

2. स्तंत्रत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें।
3. भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें।
4. देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद-भावों से परेय हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं। रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणीभात्र के प्रति दयाभाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नयी ऊँचाईयों को छू सकें।

प्रदत्तों का विश्लेषण

तालिका 4.1

प्रस्तुत शोध का अध्ययन हेतु कक्षा 11वीं विद्यार्थियों के मौलिक कर्तव्यों प्रति जागरूकता का प्रतिशत इस प्रकार है।

मौलिक कर्तव्य संख्या	शासकीय संख्या-50	प्रतिशत	अशासकीय संख्या-50	प्रतिशत
1	48	96%	39	78%
2	13	26%	2	4%
3	18	36%	9	18%
4	11	22%	5	10%
5	0	0	7	14%
6	0	0	0	0
7	44	88%	2	4%
8	33	66%	1	2%
9	49	98%	33	66%
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0

प्रस्तुत तालिका में शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का प्रतिशत दर्शाया गया है। मौलिक कर्तव्य 1,7,8,9 के प्रति अशासकीय एवं शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में ज्यादा जानकारी है। मौलिक कर्तव्य 1,7,8 व 9 के प्रति क्रमशः 96 प्रतिशत, 88 प्रतिशत 66 प्रतिशत 98 प्रतिशत शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में जागरूकता पायी गयी है। मौलिक कर्तव्य 1 व 9 के प्रति क्रमशः

78 प्रतिशत 66 प्रतिशत अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में जागरूकता पाई गई।

तालिका 4.2

प्रस्तुत शोध में छात्र व छात्राओं की मौलिक कर्तव्य
के प्रति जागरूकता का प्रतिशत

मौलिक कर्तव्य संख्या	छात्र संख्या-53	प्रतिशत	छात्रा संख्या-47	प्रतिशत
1	51	96.22%	43	91.48%
2	2	3.77%	13	27.65%
3	4	7.54%	23	48.93%
4	7	13.20%	9	19.14%
5	4	7.54%	3	6.38%
6	0	0	0	0
7	39	73.58%	7	14.89%
8	29	54.71%	5	10.63%
9	52	98.1%	30	63.82%
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0

तालिका क्रमांक-4.2 मौलिक कर्तव्य 1,7,8 व 9 के प्रति छात्रों में क्रमशः 96.22 प्रतिशत, 73.58 प्रतिशत, 54.71 प्रतिशत, 98.71 प्रतिशत मौलिक कर्तव्यों की जागरूकता पायी गयी।

मौलिक कर्तव्य 1,4 व 9 के प्रति छात्राओं में क्रमशः 91.48 प्रतिशत, 48.93 प्रतिशत, 63.82 प्रतिशत मौलिक कर्तव्यों की जागरूकता पायी गयी।

उद्देश्य -

1. मौलिक कर्तव्यों के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता का अध्ययन करना।
2. शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय में मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
3. मौलिक कर्तव्यों के प्रति छात्र/छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन करना।

निष्कर्ष:-

शोधकार्य में मुख्य रूप से यह पाया गया है कि मौलिक कर्तव्यों के प्रति अधिक रूप में जानकारी नहीं है। कम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों के महत्व को बताया है। कम विद्यार्थियों में मौलिक कर्तव्यों की समझ और जागरूकता है।